

31

Annex 2

राजस्थान वावासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मुसप्र/वावा/01-02/33

दिनांक: - 13/2/2022

.....
मानसपुर- गुस्वद- बेलफूर- सापटा,
मानसपुर- जयपुर।

विषय: - डिस्पोजल ऑफ प्रापटी रेगुलेशन 1970 के अन्तर्गत मण्डल की मानसपुर योजना में - गुस्वद एवम् मंदरसु - के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक- 28.01.02 को आयोजित मण्डल की सम्पात्त आवंटन समिति की बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या - 13 - के अन्तर्गत मण्डल द्वारा आपकी संस्था का मण्डल की योजना के सेक्टर-3 - में मानसपुर 1000+1000=2000 - वर्ग मीटर भूमि - गुस्वद एवम् मंदरसु - के निर्माण हेतु मण्डल के सामान्य नियमों एवं शर्तों पर आर्देटिड किन्ने जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन मण्डल के डिस्पोजल ऑफ प्रापटी रेगुलेशन 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा।

अतः आप प्रयत्न: आर्देटिड भूमि की कुल लागत की 2 प्रतिशत राशि रु 51,040-00- - इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति अधोहस्ताक्षरकता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, तबकि आपकी संस्था का आर्देटिड भूमि का आवंटन पत्र जारी किया जा सके।

संलग्न: - चालान

भवदीय ,


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक